### <u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष— 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

#### आपराधिक प्रकरण क्रमांक 658/2012 संस्थित दिनांक 18.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

– अभियोगी

वि रू द्व

प्रमोद पिता हरी मुकाती, उम्र 41 वर्ष, निवासी चम्पा बावड़ी, अंजड़

अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ **– श्री अकरम मंसूरी** अभियुक्त द्वारा अभिभाषक **– श्री आर. के. श्रीवास** 

#### -: <u>निर्णय</u>:-

## (आज दिनांक 21-03-2017 को घोषित)

01— पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 316/2012 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध दिनांक 15.11.12 को दोपहर के लगभग 03:30 बजे बंटी ज्वैलर्स के सामने धानमण्डी, अंजड़ में लोक मार्ग पर वाहन द्वेक्टर क. एम. पी. 46—ए/2052 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर यशवंत को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के लिए भादवि की धारा 304—ए का अभियोग है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.12 को फरियादी नरेन्द्र ने थाना अंजड़ पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह जयहिन्द नगर अंजड़ में रहकर वैल्डिंग का काम करता है उसे दि. 15.11.12 को दोपहर 3:30 बजे कैलाश हाविडया का फोन आया कि तुम्हारे पिताजी को एक द्वेक्टर वाले ने टक्कर मारकर कुचल दिया है तो फिर वह और उसका भतीजा राहुल कार से मौके पर पहुंचे जहां पर गजु पिता हरी पाटीदार, निवासी अंजड़ की बिना नम्बर का द्वेक्टर न्यु हालैण्ड कंपनी का माडल नं. 4510 दाली सिहत कड़ब भरी हुई खडी थी, जिसका झायवर नहीं था। फिर वह अस्पताल अंजड़ पहुंचा जहां पर उसके पिताजी को देखने पर सिर में व पैर पर चोट के निशान दिखे, फिर बड़वानी अस्पताल लेकर गये जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, फिर वह पिताजी का पी एम करवाकर लाश प्राप्त होने पर दि. 16.11.12 को अंतिमसंस्कार कर वह आज थाने पर रिपोर्ट करने आया है, रिपोर्ट करता है। उक्त फरियादी की सूचना के आधार पर थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 316/2012 दर्ज कर, नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये,

आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के पेश करने पर कर द्रेक्टर व दस्तावेज तथा आरोपी की चालन अनुज्ञप्ति जप्त किये गये, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादिव की धारा 304—ए के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर उसकी विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 15.11.12 को दोपहर के लगभग 03:30 बजे बंटी ज्वैलर्स के सामने धानमण्डी, अंजड़ में लोक मार्ग पर वाहन द्वेक्टर क. एम. पी. 46-ए/2052 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर यशवंत को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

# - <u>विचारणीय प्रश्न पर (i)</u> सकारण निष्कर्ष -

उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में नरेन्द्र (अ.सा.1) का कथन है कि उसे अभियुक्त का नाम दुर्घटना के समय पता चला था, दि. 15.11.12 दोपहर 3-4 बजे के मध्य धानमण्डी अंजड़ की घटना है, उसके पिताजी बाजार गये थे, तब उसे कैलाश का फोन आया कि उसके पिताजी की दुर्घटना हो गई है तो वह धानमण्डी अंजड़ गया तो देखा कि उसके पिताजी की द्वेक्टर से दुर्घटना हुई थी और उसके पिताजी को अस्पताल में भर्ती कराया था, तब वह अस्पताल बड़वानी गया जहां उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड पर प्रदर्श पी 1 की लिखाई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी का यह भी कथन है कि प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में द्रेक्टर का कृ. लिखाया था या नहीं उसे आज याद नहीं है। उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में गज़ पाटीदार की द्रेक्टर-द्राली से दुर्घटना होना बताया था, द्रेक्टर द्राली का क. ऑज उसे ध्यान नहीं है, पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना होने के स्थान से अंजड़ अस्पताल गया था। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना होने के लगभग 15 मिनट पश्चात वह घटना स्थल पर पहुंच गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर थाने पर किये थे।

07— कैलाश हाविडया (अ.सा.2), नीरज पण्डित (अ.सा.3), भारत (अ.सा.4) तथा कैलाश व्यास (अ.सा.5) ने उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में उनका कथन है कि उन्होंने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी, लेकिन दुर्घटना के बाद उनको दुर्घटना होने की जानकारी मिली थी तब वे गये थे तो उन्होंने देखा कि यशवंत की दुर्घटना

हो गई है। कैलाश व्यास (अ.सा.5) का यह भी कथन है कि मृतक यशवंत उसके पिता थे, जिनकी दुर्घटना गजु पाटीदार के द्रेक्टर से हुई थी, लेकिन उसे कौन चला रहा था इसकी उसे जानकारी नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कैलाश हावड़िया, नीरज पण्डित, भारत तथा कैलाश व्यास ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त ने द्रेक्टर द्राली को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर यशवंत को टक्कर मार दी थी।

- 08— पण्डू कदम (अ.सा.६) ने दि. 23.11.12 को थाना अंजड़ के अपराध क. 316 / 12 में जप्त देक्टर क. एम.पी.46 ए. 2052 का यांत्रिकीय परीक्षण कर उसके सभी पार्ट्स ठीक अवस्था में पाये थे तथा वाहन में कोई भी यांत्रिकीय त्रुटि नहीं होने के संबंध में परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 प्रमाणित किया है।
- 09— डॉ. सचिन (अ.सा.7) का कथन है कि उसने दि. 15.11.12 को प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए नरेन्द्र व्यास द्वारा आहत यशवंत पिता जगदीश व्यास उम्र 65 वर्ष को सड़क दुर्घटना में घायल होने से चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा परीक्षण कर प्रदर्श पी 8 में दर्शित चोटें होना पाई थी, जिनके उच्च चिकित्सा हेतु उसके द्वारा आहत जिलर अस्पताल बड़वानी भेजने के संबंध में कथन किये है तथा साक्षी ने अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 को भी प्रमाणित किया है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 10— डॉ. नितिन पटेल (अ.सा.9) का कथन है कि उसने दि. 15.11.12 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आरक्षक दिग्विजयसिंह द्वारा मृतक यशवंत पिता जगदीश उम्र 65 वर्ष, निवासी अंजड़ का शव परीक्षण हेतु लाने पर, उसके द्वारा शव परीक्षण करने पर मृतक को प्रदर्श पी 11 में दर्शित चोटें आना तथा उसके मत अनुसार मृतक की मृत्यु एसिफक्सीया से होने के संबंध में कथन किया है तथा साक्षी ने प्रदर्श पी 11 के शव परीक्षण प्रतिवेदन को भी प्रमाणित किया है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 11— रामआश्रय यादव (अ.सा.८) का कथन है कि उसने थाना अंजड़ के अपराध क. 316 / 12 की विवेचना के दौरान घटना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्श पी 2 का नक्शा मौका बनाने, साक्षीगण नरेन्द्र, अनिल, कैलाश, राहुल, भारत, देवेन्द्रपालिसंह, कैलाश एवं नीरज के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने, आरोपी प्रमोद के पेश करने पर द्रेक्टर क. एम.पी. 46 ए. 2052 सिहत दस्तावेजों एवं आरोपी की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श पी 9 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव सें इंकार किया है कि उसे साक्षीगण ने कोई कथन नहीं दिया था अथवा उसने सभी साक्षियों के कथन उसकी मर्जी से लेखबद्ध कर लिये थे अथवा किसी साक्षी ने उसे वाहन का नम्बर और चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि

उसने मृतक के परिवार से मिलकर अभियुक्त के विरूद्ध असत्य प्रकरण बनाया है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

12— इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर द्रेक्टर क. एम.पी. 46 ए. 2052 को लोक मार्ग पर उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाने तथा उक्त द्रक की टक्कर मृतक यशवंत को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। यहां तक कि नरेन्द्र व्यास (अ.सा.1) ने भी अपने कथन में द्रेक्टर द्राली का नम्बर याद होने अथवा रिपोर्ट में लिखाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा इस आरोपी को इस प्रकार में किस प्रकार अभियुक्त बनाया गया है इस संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध उक्त अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किये जा सकते है।

13— अतः उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन आरोपी के विरूद्ध भादिव की धारा 304—ए का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त प्रमोद पिता हरी मुकाती, उम्र 41 वर्ष, निवासी चम्पा बावड़ी, अंजड़ भादिव की धारा 304—ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

14— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा द्रेक्टर क. एम.पी. 46 ए. 2052 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी / सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर मय कागजात के है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

—सही— (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. —सही— (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड जिला बडवानी, म.प्र.